

प्रारूप-8

नियम 7(2) देखिये



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या **LUC/08439/2018-2019**

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **सौर विद्युत उपभोक्ता समिति, 5/323, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, लखनऊ, 226010** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
यह प्रमाण पत्र दिनांक **24/01/2024** तक विधिमान्य होगा।
आज दिनांक **25/01/2019** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

**Digitally Signed By
(SANTOSH KUMAR MAURYA)**

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।